संख्या-785/22-2-2015-17(261)/2006

प्रेषक,

पलबिन्दर सिंह
उप सचिव
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 18 नवम्बर 2015

विषय:- आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्व बन्दी राम प्रताप पुत्र श्री मोहन यादव निवासी जनपद-देवरिया की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-40682/प्रोबेशन-3(एम-11-09-2015) दिनांक-14/15-9-2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी राम प्रताप पुत्र श्री मोहन यादव, ग्राम-तातिल, थाना-सलेमपुर, जनपद-देवरिया का निवासी है। तहबाजारी की वसूली एवं जमीन को लेकर चल रही मुकदमें बाजी की रंजिश के कारण बन्दी ने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 23-09-1993 को सायं लगभग-04:30 बजे देशी कट्टा, बम एवं चाकू से हमला कर 02 व्यक्तियों की हत्या की एवं 01 व्यक्ति को घायल किया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-34/94 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-143,148,302/149, 307/149, 504 व 506 आई0पी0सी0 के अन्तर्गत मा0 तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, देवरिया द्वारा दिनांक 05-04-1996 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, बन्दी द्वारा दिनांक 08-08-2015 तक 15 वर्ष 02 माह 25 दिन की अपरिहार तथा 20 वर्ष 05 माह 26 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण अच्छा एवं सुधारात्मक, बन्दी के 02 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्व है, 02 सहअभियुक्त फार्म'ए/नामिनल रोल के आधार पर रिहा हो चुके है, 01 सहअभियुक्त की मृत्यु हो चुकी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट देवरिया द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड ने बन्दी द्वारा तहबाजारी की वसूली एवं जमीन को लेकर चल रही मुकदमें बाजी की रंजिश के कारण बन्दी ने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 23-09-1993 को सायं लगभग-04:30 बजे देशी कट्टा, बम एवं चाकू से हमला कर 02 व्यक्तियों की हत्या की एवं 01 व्यक्ति को घायल किया। बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्वदोष बन्दी राम प्रताप पुत्र श्री मोहन यादव निवासी जनपद-देवरिया को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपरोक्त् वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी राम प्रताप (बन्दी संख्या-14934) पुत्र श्री मोहन यादव निवासी ग्राम-तातिल, थाना-सलेमपुर, जनपद-देवरिया के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत

http://shasanadesh.up.nic.in

विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(पलबिन्दर सिंह)
उप सचिव।

संख्या-785/(1)/22-2-2014 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, देवरिया।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ ।

3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(पलबिन्दर सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश सख्या-785@22-2-2015-17(261)/2006

दिनांक 18 नवम्बर, 2015 का संलग्नक

सरकार के आदेश

आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्व बन्दी राम प्रताप (बन्दी संख्या-14934) पुत्र श्री मोहन यादव निवासी ग्राम-तातिल, थाना-सलेमपुर, जनपद-देवरिया की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में महानिरीक्षक, कारागार द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी राम प्रताप पुत्र श्री मोहन यादव, ग्राम-तातिल, थाना-सलेमपुर, जनपद-देवरिया का निवासी है। तहबाजारी की वसूली एवं जमीन को जलेकर चल रही मुकदमें बाजी की रंजिश के कारण बन्दी ने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 23-09-1993 को सायं लगभग-04:30 बजे देशी कट्टा, बम एवं चाकू से हमला कर 02 व्यक्तियों की हत्या की एवं 01 व्यक्ति को घायल किया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-34/94 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-143,148,302/149, 307/149, 504 व 506 आई0पी0सी0 के अन्तर्गत मा0 तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, देवरिया द्वारा दिनांक 05-04-1996 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, बन्दी द्वारा दिनांक 08-08-2015 तक 15 वर्ष 02 माह 25 दिन की अपरिहार तथा 20 वर्ष 05 माह 26 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण अच्छा एवं सुधारात्मक, बन्दी के 02 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्व है, 02 सहअभियुक्त फार्म-ए/नामिनल रोल के आधार पर रिहा हो चुके है, 01 सहअभियुक्त की मृत्यु हो चुकी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट देवरिया द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड ने बन्दी द्वारा तहबाजारी की वसूली एवं जमीन को जलेकर चल रही मुकदमें बाजी की रंजिश के कारण बन्दी ने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 23-09-1993 को सायं लगभग-04:30 बजे देशी कट्टा, बम एवं चाकू से हमला कर 02 व्यक्तियों की हत्या की एवं 01 व्यक्ति को घायल किया। बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्वदोष बन्दी राम प्रताप पुत्र श्री मोहन यादव निवासी जनपद-देवरिया को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(पलबिन्दर सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in